क्रमांक 1901-ज(I)76/33389.—श्री छैलू राम पुत्र श्री चीतद गांव पनेसरी, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 2 मार्च, 1964 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री छैलू राम की मुब्लिग 200 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे पंजाब सरकार की अधिसूचना क्रमांक 10707 जे.एन. (III)-6/18348, दिनांक 25 अगस्त, 1966 तथा हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 5041-आर-III-70/21505, दिनांक 8 दिसम्बर 1970 द्वारा मंजूर की गई थी । अब उसकी विधवा श्रीमति सुन्दर के नाम खरीफ 1974 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है ।

दिनांक 28 अक्तूबर, 1976

क्रमांक 1997-ज(II)-76/33209.—श्री जयमल सिंह, पुत्र श्री सुनेहरी, गांव भोडवाल, माजरी तहसील पानीपत, जिला करनाल की दिनांक 11 अक्तूबर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1) तथा 3(1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री जयमल सिंह की मुब्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 1941-ज(II)-73/26047, दिनांक 28 अगस्त, 1973, द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्रीमति खजानी के नाम खरीफ, 1976 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अंतर्गत तबदील की जाती है ।

क्रमांक 2018-ज(II)-76/33213.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बदलू राम, पुत्र श्री नियादर सिंह, गांव कठवाड़, तहसील कैथल, जिला कुरुक्षेत्र को रबी, 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 2010-ज(II)-76/33217.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री अर्जन सिंह, पुत्र श्री जीतू, गांव कलराना कलां, तहसील व जिला जीन्द, को खरीफ, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर, सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1982-ज(I)-76/33221.—श्री सोहन सिंह, पुत्र श्री काहन सिंह, निवासी अम्बाला शहर, तहसील व जिला अम्बाला, की दिनांक 30 अगस्त, 1973 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप, हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2(ए) (II) तथा 3 (1) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं कि श्री सोहन सिंह की मुब्लिग 100 रुपये वार्षिक की जागीर, जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 455-वाई.सी.5172-ए दिनांक 11 अक्तूबर, 1955 द्वारा मन्जूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमति राम रखी के नाम रबी, 1974 से 100 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है ।

दिनांक 3 नवम्बर, 1976

क्रमांक 1952 ज(I)76/33585—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3 (1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्य पाल श्री ज्ञानी राम, पुत्र श्री आद राम, गांव छपार, तहसील दादरी, जिला भिवानी को रबी, 1975 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 1974 ज(I)76/33589.—श्री शंकर लाल, पुत्र श्री राम दयाल, गांव नांगल, तहसील दादरी, जिला भिवानी की दिनांक 28 नवम्बर, 1975 को हुई मृत्यु के परिणामस्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसाकि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया

है) की धारा 4 एवं 2(ए) (1ए) तथा 3(1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते हैं, कि श्री शंकरलाल की मुल्लिग 150 रुपये वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 4176-र-III-70/19512 दिनांक 19 अगस्त, 1976 तथा अधिसूचना क्रमांक 5041 आर-III-70/29505 दिनांक 8 दिसम्बर, 1970 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उस की विधवा श्रीमति तरकौर के नाम खरीफ 1976 से 150 रुपये वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है ।

क्रमांक 2004-ज(I)-76/33593.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए)(1ए) तथा 3(1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री बेग, पुत्र श्री गिरधारी लाल, गांव कुड़लकावास, तहसील लोहारू, जिला भिवानी को रबी 1973 से 150 रु० वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 2030-ज(I)-76/33597.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उस में आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1) तथा 3(1) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री रामधन, पुत्र श्री शयो दान, गांव बडदू चैना, तहसील लोहारू, जिला भिवानी. को रबी 1967 से रबी 1970 तक 100रुपए वार्षिक तथा खरीफ 1970 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं।

क्रमांक 2003-ज(I)-76/33602.—पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम, 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 2(ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अनुसार सौंपे गये अधिकारों का प्रयोग करते हुए हरियाणा के राज्यपाल श्री धन्ना सिंह, पुत्र श्री माया सिंह, गांव बसंतपुरा वराड़ा, तहसील व जिला अम्बाला को रबी, 1973 से 150 रुपये वार्षिक कीमत वाली युद्ध जागीर सनद में दी गई शर्तों के अनुसार सहर्ष प्रदान करते हैं ।

क्रमांक 2005 ज(I)-76/33606.— श्री देवकरण, पुत्र श्री जीसुख, गांव बुचोली तहसील व जिला महेन्द्रगढ़ की दिनांक 23 जुन 1974 की हुई मृत्यु के परिणाम स्वरूप हरियाणा के राज्यपाल, पूर्वी पंजाब युद्ध पुरस्कार अधिनियम 1948 (जैसा कि उसे हरियाणा राज्य में अपनाया गया है और उसमें आज तक संशोधन किया गया है) की धारा 4 एवं 2 (ए) (1ए) तथा 3 (1ए) के अधीन प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए सहर्ष आदेश देते है कि कि देवकरण को अधिकतम 150/-रु० वार्षिक की जागीर जो उसे हरियाणा सरकार की अधिसूचना क्रमांक 2303 ज(I)-72/32545, दिनांक 20 अगस्त, 1972 द्वारा मंजूर की गई थी, अब उसकी विधवा श्री मति जडया के नाम रबी 1975 से 150 रु० वार्षिक की दर से सनद में दी गई शर्तों के अन्तर्गत तबदील की जाती है ।

यशवन्त कुमार जैन,
विशेष कार्य अधिकारी, हरियाणा सरकार,
राजस्व विभाग ।

DEVELOPMENT AND PANCHAYAT DEPARTMENT

The 28th October, 1976

No. EP-K-76/78.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby excludes village Nalvikalan from sabha area comprising of villages Dibarki, Nalvikalan, Dibarki par, declared,—*vide* Haryana Government, Development and Panchayat Department, notification No. EP-K-71/9, dated 5th June, 1971.

No. EP-K-76/79.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), and all other powers enabling him in this behalf the Governor of Haryana hereby declares village Nalvikalan to be a sabha area and makes the

following amendment in Haryana Government Development and Panchayat Department notification No. EP-K-71/9, dated 5th June, 1971 :—

AMENDMENT

In the said notification in the schedule, for item 84, the following item shall be substituted, namely :—

Serial No.	Name(s) of village(s) constituting Sabha area	Tehsil	District
"84	Dibarki, Dibarki Par	Karnal	Karnal
84-A	Nalvikalan	Do	Do"

No. EP-K-76/80.—In exercise of the powers conferred by section 5 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby makes the following amendments in Haryana Government, Development and Panchayat Department notification No. EP-K-71/10, dated the 5th June, 1971, namely :—

AMENDMENT

In the said notification in the schedule for item 84, the following items shall be substituted, namely :—

Serial No.	Name(s) of Village(s) constituting Sabha area	Tehsil	District	Name of Gram Panchayat	No. of Panches	No. of Panches belonging to Scheduled Castes
1	2	3	4	5	6	7
"84	Dibarki, Dibarki-Par	Karnal	Karnal	Dibarki	6	1
84-A	Nalvikalan	Do	Do	Nalvikalan	5	Nil"

The 4th November, 1976

No. EP-H-76/83.—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), and all other powers euabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby excludes village Lambi from the Sabha area comprising of villages Jhuti Khera, Lambi and village Giddarkhera from the Sabha area comprising of villages Ganga, Giddarkhera declared vide Haryana Government, Development and Panchayat Department notification No. EP-H-71/51, dated 5th June, 1971.

No. EP-H-76/84.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Punjab Gram Panchayat Act, 1952 (Punjab Act 4 of 1953), and all other powers enabling him in this behalf, the Governor of Haryana hereby declares the villages Lambi and Giddarkhera to be Sabha areas and makes the following amendment in Haryana Government, Development and Panchayat Department notification No. EP-H-71/51, dated 5th June, 1971 :—

AMENDMENT

In the said notification in the schedule, for items 26 and 69, the following items shall be substituted, namely :—

Serial No.	Name(s) of village(s) constituting Sabha area	Tehsil	District
"26	Jhuti Khera	Dabwali	Sirsa
26-A	Lambi	Do	Do
69	Ganga	Do	Do
69-A	Giddar Khera	Do	Do"